

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एस आर जी हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर
—प्रार्थी

बनाम

1. श्री नरपत लाल पुत्र श्री गोपीलाल यादव पेशा नौकरी निवासी 25, यादव कॉलोनी, ग्राम अरड़किया, पो. ओरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राज.)पिन नंबर 313329
—ऋणी/बंधक कर्ता
2. श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री नरपत लाल यादव निवासी 25, यादव कॉलोनी, ग्राम अरड़किया पो. ओरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद पिन नंबर 313329
—सहऋणी
3. श्री पूरण कुमार यादव पुत्र श्री चुन्नीलाल यादव निवासी 139, रावले के पास, यादव कॉलोनी, ग्राम अरड़किया पो, ओरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद पिन नं.313329
—जमानती
—अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 67 / 2022

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 28.06.2022</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड उदयपुर ने दिनांक 27.05.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>अप्रार्थी संख्या 1 ने बतौर ऋणी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने बतौर सह ऋणी प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 15.01.2020 को 300000/- अक्षरे तीन लाख रुपये का ऋण लिया था। अप्रार्थी सं. 1 ने ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल संपत्ति को प्रार्थी के पक्ष में रहन रखा है और उस पर निर्मित भवन एवं ढाँचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :- बंधक सम्पत्ति का विवरण :- श्री नरपत लाल पुत्र श्री गोपीलाल यादव की संपत्ति पट्टा सं. 2117 ग्राम अरड़किया ग्राम पंचायत, ओरा,</p>	



पंचायत समिति व तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद में स्थित सम्पत्ति, जिसमें भवन, भूमि एवं ढाचों आदि, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं, जिसका नाप 846 वर्ग फीट है, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि:- पूर्व: आम रास्ता पश्चिम: श्री सुरेश यादव का मकान उत्तर: श्री नारूलाल यादव का मकान, दक्षिण: श्रीमती तारा पत्नी श्री लक्ष्मण यादव का मकान, अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यक्तिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 04.06.2021 को उक्त ऋण खाते को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 227850/- अक्षरे दो लाख सताईस हजार आठ सौ रूपये दिनांक 28.09.2021 तक देय हैं व दिनांक 29.09.2021 से आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी कम्पनी ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस दिनांक 29.09.2021 को अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। जिसकी प्राप्ति के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड चरण संख्या 2 में वर्णित सिक्थोरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन किए गए हैं, उक्त संशोधित एक्ट की धारा सेक्शन-12 जो कि निम्न प्रकार से है:-

Section 12 In the principal Act, in section 14, in sub-section (1),-

- (i) in the second proviso, after the words "secured assets", the words "within a period of thirty days from the date of application" shall be inserted:
- (ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days."

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 29.09.2021 को जारी किया गया था।



उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को उनके पते पर दिनांक 08.10.2021 एवं 09.10.2021 को तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी/ऋणी, सहऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड उदयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण :- श्री नरपत लाल पुत्र श्री गोपीलाल यादव की संपत्ति पट्टा सं. 2117 ग्राम अरड़किया ग्राम पंचायत, ओरा, पंचायत समिति व तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद में स्थित सम्पत्ति, जिसमें भवन, भूमि एवं ढाचों आदि, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका नाप 846 वर्ग फीट है, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि:- पूर्व: आम रास्ता पश्चिम: श्री सुरेश यादव का मकान उत्तर: श्री नारूलाल यादव का मकान, दक्षिण: श्रीमती तारा पत्नी श्री लक्ष्मण यादव का मकान ।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड उदयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एस आर जी हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड उदयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

